# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु०न०:— 52 / 2024
पीठासीन अधिकारीः—राकेश कुमार II (आर०ए०एस०)
निर्णय दिनांकः— 06.06.2024

1. पंच महाजन जैन मन्दिर लदाना जरिये अध्यक्ष कैलाश चन्द जैन पुत्र श्री रतनलाल जाति महाजन आयु 80 वर्ष निवासी लदाना तहसील फागी जिला दूदू राज०

प्रार्थी

बनाम

1. प्रभात पुत्र हनुमान जाति मीणा निवासी लदाना तहसील फांगी जिला जयपुर
2. बाबू पुत्र हनुमान जाति मीणा निवासी लदाना तहसील फागी जिला जयपुर
3. रामेश्वर पुत्र हनुमान जाति मीणा निवासी लदाना तहसील फागी जिला जयपुर
4. हेमराज पुत्र हनुमान जाति मीणा निवासी लदाना तहसील फागी जिला जयपुर
5. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता :— श्री विनय कुमार जैन वकील प्रार्थी
प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने बाबत

निर्णय दिनांकः— 06.06.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933. 2934 कुल किता 08 कुल रकबा 1.1632 है० भूमि वाके ग्राम लदाना पटवार हल्का लदाना भू. अभि. नि. क्षेत्र लदाना तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित हैं। जिसका प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। उक्त आराजी प्रार्थी की आराजी है. जो शाश्वत नाबालिग है, जो पंच महाजन के अनुसार भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। आराजी का शान्तिपूर्वक उपयोग—उपभोग करता आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी की आराजी है जिसका अप्रार्थीगण से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। वे प्रार्थी की आराजी पर नाजायज अतिक्रमण कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण सख्याबल एवं भुजबल में अधिक है। जिन्होने एक नाजायज गिरोह बना रखा है जिसका उद्देश्य डरा धमकाकर जमीनें ऐंठना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतू अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि की देखरेख करने वालों से आये दिन लडाई झगड़ा कर प्रार्थी को हेरान परेशान करते रहते हैं। कुछ समय पूर्व जब प्रार्थी की भूमि की देखरेख करने वाले वादग्रस्त आराजी की देखमाल करने विवादग्रस्त आराजी पर आये तो अप्रार्थीगण एवं कुछ अन्य व्यक्ति एक राय होकर प्रार्थी की आराजी पर आये एवं प्रार्थी के कब्जे की आराजी पर अतिक्रमण करने की धमकी दी। जिस पर प्रार्थी की भूमि की देखरेख करने वालों ने तहसीलदार फागी के

लगातार......................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

यहा आवेदन कर उक्त भूमि का दिनाक 08.06.2023 को सीमा ज्ञान भी करवा लिया, परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण ने विवाद करना नहीं छोड़ा। इसलिए प्रार्थी की भूमि की रक्षार्थ उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी उक्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। जब कि प्रार्थी की आराजी से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु वह प्रार्थी की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहते है। जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थी उक्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है एवं वह प्रार्थी की भूमि की देखरेख करने वालों के द्वारा अपनी आराजी की सुरक्षा करना चाहता है। 8. यह कि उक्त आराजी की पत्थरगडी होने से प्रार्थी की उक्त भूमि सुरक्षित हो जावेगी एवं अतिक्रमण होने का डर नहीं होगा। उक्त प्रकरण के निस्तारण का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजि0 एडी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 4 वाद तामिल भी हाजिर अदालत नही आये। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस एकतरफा सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का पेश किया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नीमेड़ा में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी 2072–2075 वाके ग्राम लदाना के के खाता सं0 184 पंचमहाजन जैनमन्दिर लदाना के दर्ज रिकार्ड है। उक्त विवादग्रस्त आराजी का पूर्व मे दिनांक 08.06.2023 को सीमाज्ञान हो चुका है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 5 मे सीमाज्ञान होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा विवाद करना बताया है। अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जा चूकी है। पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े एवं पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाऐं रखने हेतु पक्षकारान की मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान किया पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नं 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933. 2934 कुल किता 08 कुल रकबा 1.1632 है० भूमि वाके ग्राम लदाना तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का सभी पडौसी खातेदारान उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को सरे इजलास सुना गया।

6/6/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-दूदू